



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31082024-256819  
CG-DL-E-31082024-256819

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 226]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 30, 2024/भाद्र 8, 1946

No. 226]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 30, 2024/BHADRA 8, 1946

okf.kT; , oa m | ksx ea=ky;

%okf.kT; foHkkx½

%fons' k 0; ki kj egkfun's kky; ½

I koHtfud I ipuk

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2024

I a 19@2024-2025

fo"K; % i f0; k पुस्तक, 2023 के परिशिष्ट-4अ में संशो/kuA

Qk-l a 01@94@180@075@, , Ek24@ihl h&4.—समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्वारा प्रक्रिया पुस्तक 2023 के परिशिष्ट-4अ में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:

1. परिशिष्ट 4अ तालिका में, मौजूदा प्रविष्टियों को संशोधित किया जाता है जिन्हें निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

क्र.सं.	वर्णन	प्रवृत्ति
1	मसाले (क) काली मिर्च; इलायची और मिर्च मूल्य वर्धन प्रयोजन जैसे कूटने/पीसने/कीटाणु शोधन अथवा ऑयल एवं ऑलियोरेसिन के लिए और सामान्य सफाई, ग्रेडिंग, पुनः पैकिंगआदि के लिए नहीं	6 महीने

	(ख) काली मिर्च के अलावा मसाले, मसाले ऑयल एवं ऑलियोरेसिन के उत्पादन हेतु इलायची एवं मिर्च	12 महीने
	(ग) उपर्युक्त (क) एवं (ख) के अलावा	6 महीने
2	अपंजीकृत स्रोत से आयातित औषध (विशिष्ट निर्यात आदेश और आयात-पूर्व शर्त के साथ)	12 महीने
3	चाय	6 महीने
4	नारियल तेल	6 महीने
5	किसी भी रूप में रेशम	12 महीने
6	खाण्ड	6 महीने
7	बहुमूल्य धातु सोना/चांदी/प्लेटिनम(रत्न एवं आभूषण क्षेत्र से संबंधित)	4 महीने
8	पेनिसिलिन और इसके लवण[आईटीसी (एचएस) कोड सं. 29411010] यदि अपंजीकृत स्रोत से आयातित हो	12 महीने
9	प्राकृति करबड़	6 महीने
10	आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण के अध्याय-7 और अध्याय-15 के तहत शामिल सभी मदों के निर्यात के लिए मानदंडसमिति द्वारा अधिसूचित सिओन/मानदंडों के पूर्व निर्धारण के अंतर्गत यथा अनुमत आयात मदें	6 महीने*
11	परिधान एवं कपड़ा की अनुषंगी वस्तुओं के निर्यात के लिए विशेष अग्रिम प्राधिकार पत्र स्कीम के तहत इन्टर लाइनिंग सहित फैब्रिक (एफटीपी 2023 का पैरा 4.04क)	प्राधिकार पत्र के जारी किए जाने की तिथि से (आयात की तिथि से नहीं) 18 महीना तथा इसके अतिरिक्त प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.40(क), (ख), (ग) और (ड.) में यथा अनुमत समयावधि को आगे बढ़ाया जा सकता है।
12	मक्का (आईटीसी एचएसकोड 1005)	3 महीने
13	किसी भी रूप में अखरोट	6 महीने
14	गेहूं	6 महीने

(\*शियानट, शिया बटर, पाम मिड फ्रैक्शन, आईएलएलआईपीई कर्नल और ऊल ग्रीज को एक साथ इस तालिका से बाहर रखा गया है)

bl | ko|tfudl |puk dk i|Hkko% परिशिष्ट-4ज के तहत मौजूदा कुछ प्रविष्टियों में सीमा शुल्क प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक आयात खेप की निकासी की तिथि से आयात-पूर्व शर्त के साथ निर्यात दायित्व अवधि को व्यापार करने में सुगमता हेतु हितधारकों से परामर्श के बाद तर्क संगत किया गया है।

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

### PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 29th August, 2024

No. 19/2024-2025

**Subject: Amendments in Appendix-4J of the Handbook of Procedures, 2023.**

**F. No. 01/94/180/075/AM24/PC-4.**—In exercise of powers conferred under Paragraph 1.03 and 2.04 of the Foreign Trade Policy, 2023, as amended from time to time, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendment in Appendix-4J of the Handbook of Procedures 2023:

1. In the Appendix-4J table, the existing entries are amended to be read as under:

Serial No.	Import Item(s)	Export Obligation Period with pre-import condition from the date of clearance of each import consignment by Customs Authority
1	Spice (a) Pepper; cardamom and chilies for Value Addition purpose like crushing / grinding / sterilisation or for manufacture of oils and oleoresins and not for simple cleaning, grading, repacking etc.	6 Months

	(b) Spices other than pepper, cardamom and chilies for manufacture of Spice oils, Oleoresin	12 Months
	(c) Other than (a) & (b) above	6 Months
2	Drugs imported from unregistered source (with a specific export order and pre-import condition)	12 Months
3	Tea	6 Months
4	Coconut Oil	6 Months
5	Silk in any form	12 Months
6	Raw Sugar	6 Months
7	Precious Metal Gold/Silver/Platinum (Pertains to Gem and Jewellery Sector)	4 Months
8	Penicillin and its salts [ITC (HS) Code No. 29411010, if imported from unregistered source	12 Months
9	Natural Rubber	6 Months
10	Import items as allowed under notified SION/prior fixation of norms by NC for export of all items covered under Chapter 7 and Chapter 15 of ITC(HS) Classification.	6 Months *
11	Fabrics including interlining under Special Advance Authorization Scheme for export of Articles of Apparel and Clothing Accessories (Para 4.04A of FTP 2023)	18 Months from the date of issue of Authorisation (not from the date of import) and further extension as allowed in Para 4.40(a), (b), (c) and (e) of HBP)
12.	Maize (ITC HS Code 1005)	3 Months
13.	Walnut in any form	6 Months
14.	Wheat	6 Months

(\* Shea Nut, Shea Butter, Palm Mid Fraction, ILLIPE Kernel, and Wool Grease are excluded from this table altogether.)

**Effect of the Public Notice:** The Export Obligation Period with pre-import condition from the date of clearance of each import consignment by Customs Authority in some of the existing entries under Appendix-4J has been rationalised after stakeholder consultations, for ease of doing business.

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade Ex-officio Addl. Secy.